

छत्तीसगढ़ शासन  
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
:::- मंत्रालय -::

:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक .....

क्रमांक / F9-41/2010/42 "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा निजी फार्मैसी महाविद्यालयों में संचालित बी.फार्मैसी/डी.फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिये अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं इस संबंध में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

बी.फार्मैसी पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट -1 में तथा डी.फार्मैसी पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अंतिम शुल्क परिशिष्ट -2 में संलग्न है। बी.फार्मैसी हेतु शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है। अतः शुल्क सेमेस्टर वार ही लिया जाना है, वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाना है। डी.फार्मैसी हेतु शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना कॅपीटेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिया जाता है:-

1. निर्धारित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क (रु. 1500/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित शुल्क पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये वही रहेगा, जो प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय निर्धारित है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन/संचालनालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय/संचालनालय में नियमानुसार जमा किया जा सकता है।
3. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (प्रवेश के समय) देय है। जो वापसी योग्य है।
4. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एकीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकेगा। यह शुल्क एकीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एकीडिटेड है) के लिये ही लिया जा सकता है। यदि एकीडिटेड की अवधि समाप्त हो चुकी है तो यह शुल्क देय नहीं होगा।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं के लिये शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यह शुल्क उपयोगकर्ता से "न लाम न हानि" के आधार पर ली जा सकती है।

	बी.फार्मैसी के लिये	डी.फार्मैसी के लिये
हास्टल फीस	रु. 3000/- प्रति सेमेस्टर	रु. 6000/- प्रति वर्ष
ट्रांसपोर्ट फीस	रु. 4000/- प्रति सेमेस्टर	रु. 8000/- प्रति वर्ष
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस	रु. 500/- प्रति सेमेस्टर	रु. 1000/- प्रति वर्ष
ड्रेस शुल्क	रु. 1500/- (ब्लेजर सहित)	रु. 1500/- (ब्लेजर सहित)

ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क अंतिम वर्ष में ही लिया जावेगा। यह शुल्क उसी छात्र द्वारा देय है जो कॅम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कॅम्पस प्लेसमेंट/ इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।

6. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।

..2..

7. नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/ फाईन नहीं ले सकती है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/ निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकेगी ।
8. प्रवेश निरस्त होने पर निम्नानुसार फीस की वापसी की जानी है:-
  - अ. पाठ्यक्रम शुरू होने से पूर्व प्रवेश निरस्त होने पर रु. 1000/- की कटौती के पश्चात् शेष राशि वापस किया जाना है ।
  - ब. पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर मासिक शुल्क की आनुपातिक कटौती करने के पश्चात् शेष राशि को वापस किया जाना है ।यदि छात्र के प्रवेश निरस्त होने के 15 दिवस के अंदर उपरोक्तानुसार शुल्क की वापसी नहीं की जाती है तो छात्र को मूल शुल्क के साथ 10 प्रतिशत (वार्षिक) ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वापस पाने का अधिकार रहेगा ।
9. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
10. संस्था की फीस निर्धारण करते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा घोषित 6वें वेतनमान को भी विचार में लिया गया है । अतः संस्था को निर्देश दिये जाते हैं शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक अमले को एआईसीटीई वेतनमान देना होगा, साथ ही यदि कोई एरियर्स बनता हो तो वह भी देय होगा ।
11. संस्थाओं द्वारा सत्र 2008-09 के लिये पूर्व में ली गई शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अंतर की राशि छात्र द्वारा/ संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/ छात्र को वापस देय होगा । इसका तात्पर्य यह है कि यदि संस्था द्वारा सत्र 2008-09 अथवा 2009-10 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है उस दशा में शुल्क के अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जावेगी । यदि निर्धारित शुल्क से कम लिया है तो शेष राशि संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त की जा सकेगी ।
12. जहाँ तक सत्र 2009-10 के लिये अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर का प्रश्न है उस पर भी वापसी की कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु के अनुसार की जा सकेगी ।
13. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जावेगा । केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है । यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये ।
14. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है ।
15. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

टीप : यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी.) नं.-2112/2010 एवं 2388/2010 के अध्यक्षीन रहेगी एवं इन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश/निर्देश के अनुसार आदेश में बदलाव किया जा सकेगा ।

अवर सचिव  
छ.ग. शासन  
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

..3..

पृ.कमांक / F 9-41/2004/2

रायपुर, दिनांक 19.11.2010

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
6. संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को सूचनार्थ ।
8. समस्त संबंधित निजी महाविद्यालय ..... को पालनार्थ ।
9. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव  
छ.ग. शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
19.11.10

आदेश क्रमांक F 9-41/20142 दिनांक 19.11.2010 का परिशिष्ट - 1


बी.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For B.Pharmacy Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	25000
2	Raipur Institute of Technology, Raipur	25000
3	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	26250
4	Rungta College of Pharmaceutical Science & Reasearch, Bhilai	25000
5	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	26250
6	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	23500
7	Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Science, Nehru Nagar, Junwani, Bhilai	25000
बी.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिये अंतिम शुल्क		
8	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	23500
9	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	23500
10	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Near Dindayal Awas Yojna, Uslapur, Bilaspur	25000
11	Swami Swaroopanand Saraswati Institute of Pharmaceutical Science, Mujgahan, Sejbahar, Raipur	22500

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन

 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
19.11.2010

आदेश क्रमांक F 9-41/20142 दिनांक 19.11.2010 का परिशिष्ट - 2

डी.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For D.Pharmacy Course)	Total Fee (Per Year) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	40400
2	J.K. Institute of Pharmacy, Bilapur	40400
3	Maulana Abul Kalam Azad college of Pharmacy, Raipur	40400
4	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	40400
5	Royal College of Pharmacy, Raipur	40400
6	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	40400
7	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	40400
8	Siddhi Vinayak Institute of Pharmacy, Bilaspur	40400



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन

FW  
19/11/10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग